



Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068 Web:

www.dfccil.gov.in

Reply to Original Application

No. 2018/HQ/ Admin/RTI-159

New Delhi: 13.04.2018

Shri Heera Singh Rawat
S/o Shri Harji Singh Rawat
मु. पो० मापापुर वाया राजगढ़,
जिला अजमेर राजस्थान-305205
मो.-9414649201

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: RTI Application dated 13.03.18 received on 12.04.18 through CPM/Ajmer's office from Sh. Heera Singh Rawat.

You have submitted your above RTI application at CPM/ Ajmer's office, The CPM/ Ajmer's office, here the deemed CPIO, has forwarded the same along with their reply to this office which is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/ Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.


(S.K.PANDA)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skpanda@dfcc.co.in

9717636811

Copy to:

Chief Project Manager, DFCCIL
A-1, Circular Road,
Near SP, GRPF Office,
Ajmer-305001

For information & Record only. The reply being explanatory and as per the Act. The effort/action is highly appreciated.





डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

क्रमांक अज./ए.डी./आर.टी.आई./आर-182


दिनांक 06.04.2018

श्री एस.के. पाण्डा
डीजीएम एव जन सूचना अधिकारी
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.,
नई दिल्ली।

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना बाबत।
संदर्भ:—आवेदक श्री हीरासिंह रावत के आवेदन दिनांक 13.03.2018 के जवाब के संबन्ध में।

उपरोक्त विषय के अंतर्गत मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:—

- पैरा 1. एक्ट में सूचना का प्रावधान है, प्रश्नोत्तर एवं पूछताछ का प्रावधान नहीं है। उक्त संबन्ध में प्रार्थी को दस्तावेज की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है यह नीचे पैरा 02 में स्पष्ट किया गया है।
- पैरा 2. 8 (1) (घ) के अनुसार दस्तावेज के प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है। अतः यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये जा सकते।
- पैरा 3. 7 (9) के अनुसार सूचना मांगे गये प्रारूप में इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथापि प्रार्थी यदि चाहे तो कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन कर सकते हैं।


मुख्य परियोजना प्रबंधक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल., अजमेर